No.DGE&T-A-32016/04/2011-Adm.II
Bharat Sarkar/Government of India
Shram Aur Rozgar Mantralaya/Ministry of Labour & Employment
(Directorate General of Employment & Training)

New Delhi, Dated : August 14, 2012

CIRCULAR

Subject: **Filling up of four (04) post of Director of Training/Regional Director/Director of Training (Project)/Director of Apprenticeship Training Rs.37,400-67,000/- (PB-4) + Rs. 87,00/- (Grade Pay),- under the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour & Employment by deputation basis including short-term contract.**

It is proposed to fill up four posts of **Director of Training/Regional Director/Director of Training (Project)/Director of Apprenticeship Training** (Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of Rs.37,400 - 67,000/- (PB-4) + Rs. 87,00/- (Grade Pay) in the Directorate General of Employment and Training, on deputation basis including short-term contract. The eligibility for appointment to the post will be as follows:-

1. Officers under the Central or State Government or State Government or Universities or Recognized Research Institute or Public Sector Undertaking or Semi Government, Statutory or Autonomous Organisation:-

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

Or

(ii) With 05 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-3, Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay Rs. 7600/- or equivalent in the parent cadre or department; and Possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:-

(I) Degree in Engineering or Technology in any field from a recognized university or institute or equivalent. (The exact discipline may be indicated at the time of each recruitment).

(II) Twelve years experience in industry including experience in training institute or Apprenticeship Training.

(III) Administrative experience.

Contd.........

Desirable:-

(i) Administrative experience in a Government organization or in an engineering project or organization as the head of the organization.

(ii) Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

2. The terms and condition of deputation of the officer selected for appointment against the said post will be governed by the Instructions contained in the DOP&T OM No.2/12/87-Est.(Pay-II) dated 29/04/1988 or such general/special orders issued or that may be issued by the Govt. from time to time. Period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years.

3. It is requested that the applications (in-triplicate) in the enclosed proforma (Annexure) in respect of the officers who could be spared in the event of their selection may be forwarded to Shri V.K. Singh, Director, Directorate General of Employment & Training at the above mentioned address, within 60 days of the publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.

4. The applications must be forwarded through proper channel and must accompany the following documents/information.

(i) A certificate that no disciplinary proceedings/vigilance case is either pending or contemplated and a certificate to the effect that no major/minor penalties were imposed on him/them during the last 10 years.

(ii) Complete and upto date ACRs/APARs (in original) from 2006-2007 to 2010-2011 (If original is not readily available, photocopies of the same duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India).

(iii) Integrity Certificate.

(iv) Cadre clearance certificate.

5. Applications received incomplete and after the last date and otherwise received without the above documents/information will not be entertained. The candidates, who apply for the post, will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

Contd.........

6. Those candidates who have already applied through proper channel and with all relevant documents for the said post against the circular of even number published in the Employment News dated 5-11 May, 2012 need not to apply again. They will be considered along with present applicants.

16/8/12

(V.K. Singh)
Director
Tel.: 23715008

To

1. All the Ministries/Departments of the Govt. of India. It is requested that the vacancy may be given vide publicity to the attached & subordinate offices under them.
2. All the State Governments including Union Territories (both Labour Secretaries and Director of Employment Exchanges).
3. All Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organisations.
4. The Directorate General of resettlement, Ministry of Defence, West Block-IV, R. K. Puram, New Delhi.
5. Surplus Cell, Department of Personal & Training, New Delhi.
6. The Principal Information Officer, UGC, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
7. All Universities and Research Institutes.
8. The Campaign Officer/Media Officer, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, 3rd Floor, PTI Building, Sansad Marg, New Delhi – 110001 for publication in the Employment News/Rozgar Samachar weekly in the latest edition. It is requested to send a copy of the Employment News/Rozgar Samachar, wherein the said advertisement was published to this Directorate General. The expenditure for printing/publication of the same may be debited under the budget head of DGE&T (Head No. 23105), Ministry of Labour & Employment.
9. All attached and subordinate offices of Ministry of Labour.
10. PPS to DG/AS, DDG(T)/(AT)
11. The Secretary, UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi – 110069.
12. Notice Board.
13. Hindi Unit for translation.
14. Spare copies 10.

APPLICATION FOR THE POST OF DIRECTOR OF TRAINING

BIO DATA PROFORMA

1. Name and Address in Block letters. :

2. Date of Birth (in Christian era). :

3. Date of retirement under Central/State Govt. rules. :

4. Educational Qualifications. :

5. Whether educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules state the authority for the same). :

		Qualifications/experience required	Qualification/Experience possessed by the officer
Essential	(1) (2) (3)		
Desired	(1) (2)		

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post. :

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient. :

Office/Instt./Orgn.	Post held	From	To	Scale of pay and basic pay	Nature of duties

8. Nature of present employment i.e., ad-hoc or temporary or quasi permanent or permanent. :

9. In the case of present employment is held on deputation/contract basis, please state :

   a) The date of initial appointment.

   b) Period of appointment on deputation/contract.

   c) Name of the parent office/organisation to which you belong.

10. Additional details about present employment. Please state whether working under :

   a) Central Govt.
   b) State Govt.
   c) Autonomous Organisations.
   d) Government Undertakings.
   e) Universities.

11. Are you in Revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale. :

12. Total emoluments per month now drawn. :

2941c

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient. :

14. Whether belongs to SC/ST. :

15. Remarks. :

Date : ____________________ **Signature of the candidate**

Countersigned ____________________ **Address:**__________
(Employer)

____

____

Certificate to be furnished by the employer/Cadre Controlling authority

1. Certified and verified that the particulars furnished by the applicant above are correct as per the service book records held by this office/Ministry/Department;
2. Certified that no disciplinary proceedings/vigilance case is pending/contemplated against the above officer.

Dated: **Signature with rubber stamp:**

Name:

Official seal of employer cadre controlling authority

298/c

सं.डीजीईएंडटी-ए-32016/4/2011-प्रशा.-II
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक- अगस्त 14, 2012

परिपत्र

विषय: **रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत अल्प-कालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 37,400-67,000/- (पीबी-4) + 8,700/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक, प्रशिक्षण (परियोजना)/निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण के चार (04) पदों का भरा जाना।**

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में अल्प-कालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 37,400-67,000/- (पीबी-4)+ 8,700/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में **निदेशक, प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक, प्रशिक्षण (परियोजना)/निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण** (समूह 'क' राजपत्रित, गैर-मंत्रालयीन) के चार पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। पद पर नियुक्ति की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

1. केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा अर्ध सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत संगठन के अधिकारी:-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; या

(ii) पीबी-3 में 15,600-39,100/- के वेतनमान + 7600/- ग्रेड वेतन में या समकक्ष के वेतनमान में मूल संवर्ग अथवा विभाग में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हों:

अनिवार्य:-

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान या समकक्ष से किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में उपाधि (प्रत्येक भर्ती के समय वास्तविक संकाय इंगित किया जाए)।

(II) प्रशिक्षण संस्थान अथवा शिक्षुता प्रशिक्षण में अनुभव सहित उद्योग में 12 वर्ष का अनुभव।

(III) प्रशासकीय अनुभव।

वाँछनीय

(i) संगठन के प्रमुख के रूप में किसी सरकारी संगठन अथवा किसी इंजीनियरी परियोजना अथवा संगठन में प्रशासकीय अनुभव।

(ii) फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति के प्रत्यक्ष रेखा में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29/04/1988 के का.ज्ञा.सं. 2/12/87-स्था. (वेतन-II) में दिए गए निर्देशों या जारी किए गए ऐसे सामान्य/विशेष आदेशों या समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य/विशेष आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगी। इसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व धारित किसी अन्य संवर्गबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. यह अनुरोध है कि जिन अधिकारियों को चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, उनके आवेदन (तीन प्रतियों में) रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर श्री वी.के.सिंह, निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को उपरोक्त पते पर अग्रेषित किए जाएं।

4. आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किए जाएं:

(i) **यह प्रमाण-पत्र कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/ सतर्कता मामला न तो लम्बित है और न ही उस पर विचार किया जा रहा है तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उस पर/उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े/छोटे दंड नहीं लगाए गए थे।**

(ii) **2006-2007 से 2010-11 तक की पूर्ण एवं अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें/एपीएआरएस (मूल प्रति), (यदि मूल प्रति तत्काल उपलब्ध न हो, तो इसकी छायाप्रतियां, जो कि भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हों)।**

(iii) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।

(iv) काडर क्लियरेन्स प्रमाण-पत्र।

29|c

5. अधूरे तथा अंतिम तिथि के बाद तथा उपर्युक्त दस्तावेजों/सूचना के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

6. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही दिनांक 5-11 मई, 2012 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित समसंख्यक परिपत्र के विरुद्ध उक्त पद हेतु उचित माध्यम एवं समस्त संगत दस्तावेजों के साथ आवेदन कर रखा है उन्हें दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन पर वर्तमान आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा।

(वी.के.सिंह)
निदेशक
दूरभाष-23715008

प्रति-

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग। यह अनुरोध है कि वे इस रिक्ति का अपने अधीन सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रचार करें।
(2) संघ शासित प्रदेशों (रोजगार कार्यालय के श्रम सचिव एवं निदेशक दोनों) सहित सभी राज्य सरकारें।
(3) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम/संविधिक या स्वायत्त संगठन।
(4) पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, पश्चिम ब्लॉक-IV आर के पुरम, नई दिल्ली।
(5) सरप्लस सेल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
(6) प्रधान सूचना अधिकारी, यूजीसी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
(7) सभी विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान।
(8) प्रचार अधिकारी/मीडिया अधिकारी, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तीसरा तल, पीटीआई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को रोजगार समाचार साप्ताहिक के नवीनतम संस्करण में प्रकाशन हेतु। यह अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को जिस रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया हो, उसकी एक प्रति इस महानिदेशालय को भेजी जाए। इसके मुद्रण/प्रकाशन का व्यय डीजीईएंडटी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बजट शीर्ष (शीर्ष सं. 23105) के तहत नामे डाला जाए।
(9) श्रम मंत्रालय के अधीन सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
(10) महानिदेशक/अपर सचिव, उप-महानिदेशक (प्रशि)/(एटी) के पीपीएस
(11) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
(12) सूचना पट्ट।
(13) हिंदी एकक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय।
(14) अतिरिक्त प्रतियां-10

निदेशक, प्रशिक्षण के पद हेतु आवेदन पत्र

जीवनवृत्त प्रपत्र

1. नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में) :

3. केन्द्र / राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षिक अर्हताएं :

5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी गई है, तो उसका आधार बताएं)। :

	अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी के पास अर्हता/अनुभव
अनिवार्य	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछित	(1)	
	(2)	

6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आप द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों को ध्यान मे रखते हुए क्या आप इस पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। :

7. नियोजन का कालक्रमानुसार विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत् रूप से प्रमाणित एक पृथक पृष्ठ संलग्न करें। :

289(c

कार्यालय/ संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कर्तव्यों का स्वरूप

8. वर्तमान नियोजन का स्वरूप अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या स्थायीवत या स्थायी। :

9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर हो, तो निम्न के बारे में बताएं : :

   (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

   (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि

   (ग) उस मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंध रखते हैं

10. वर्तमान नियोजन संबंधी अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि क्या आप निम्नलिखित में से किसी में कार्यरत हैं : :

    (क) केन्द्र सरकार

    (ख) राज्य सरकार

    (ग) स्वायत्त संगठन

    (घ) सरकारी उपक्रम

    (ङ.) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वह तिथि लिखें जब से संशोधन हुआ और संशोधन से पहले का वेतनमान भी दर्शाएं। :

297/c

12. वर्तमान कुल मासिक परिलब्धियाँ :

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे। यदि स्थान अपर्याप्त हो, तो एक पृथक पृष्ठ संलग्न करें :

14. क्या आप अ.जा./अ.जं.जा. के हैं :

15. अभ्युक्तियां :

दिनांक: ------------------------------ उम्मीदवार के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित: ---------------------- पता:--

(नियोक्ता) --

नियोक्ता/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित तथा सत्यापित किया जाता है कि आवेदक द्वारा ऊपर प्रस्तुत किया गया ब्यौरा इस कार्यालय/मंत्रालय/ विभाग द्वारा रखे गए सेवा पुस्तिका रिकार्ड के अनुसार सही है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां/सतर्कता संबंधी कोई मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

दिनांक: रबड़ की मोहर सहित हस्ताक्षर

नामः

नियोजक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की सरकारी मोहर